


उनवान:- विजय बगै0 बनाम रमेश बगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
08.2025	<p>प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 403 रकवा 0.30 है0 ग्राम पहाडी तहसील बालघाट मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p> <p>17/9/25 धाडी वकील/बकील उमाय पक्ष उपस्थित पैठालीन अधिकारी जामीन लेना खिपर के पचोटे है/ पत्रावली पत्रानुसार दिनांक 20/09/25 को पेश हो।</p>

दिनांक फर्द अहकाम

08.10.25

पञ्जावली जेश दुर्गा पानी वकील उपस्थित।
अपानी न 1 (अपान 14 जी और जे श्री
विजय भारती मीन एवोकेट ने अन्वयानाम
जेश किया। जो शीघ्र पञ्जावली रखा। वाले
जबाव दिनांक 19.11.25 को देस हो।

4.11.25
Note Prey
②

पञ्जावली वादी वकील के आर्जन फा से दिनांक
19.11.25 के तलब की गई। वकील वादी ने इस
बाबत अ.प. पेग किया कि पदाकारण / वादीगण
अक्त प्रकरण को दक यत्नाग नही-याही है। वकील
वादी ने उपस्थित होकर आदेशिका पर एरनाकर किप
एव पञ्जावली को नोट प्रेस में खारिज करने का
निवेदन किया। आर्जन फा का उपलोकन किया।
वादीगण का अक्त अनवाही मुफदमा नोटिफे में
खारिज किया जाता है। पञ्जावली केवल रुकार
होकर मंवर के कज होकर दाखिल इफर है।

अखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली